न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 72 / 2025

श्री चंचल महेश्वरी निवासी 112 / 190 सेक्टर 11 प्रतापनगर सांगानेर जयपुर राज.

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 6.11.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 18.06.2025 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 21.10.2013 को ख.न. 1956 व 1957 चांदसेन टोंक राज. के सम्बंध मे स्टे जारी किया गया। उक्त स्टे के अन्तर्गत दिनांक 3.01.2014 को अप्रार्थी नं. 3 जो तहसीलदार महोदय है, न्यायालय में उपस्थिति दिखाई गई है। उक्त स्टे की जानकारी होने के बाद आपके कार्यलय द्वारा दिनांक 21.10.2013 से 31.12.2013 तक की गई कार्यवाही यथा स्टे दर्ज करना इत्यादि की प्रमाणित छायाप्रति चाही गई।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा को पत्र कमांक 1634 दिनांक 20.08.2025 व 1756 दिनांक 4.09.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट की और से उनके प्रतिनिधि दिनांक 4.09.2025 को उपस्थित हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा ने पत्र कमांक 4864 दिनांक 4.09.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां उनके पत्र कमांक 4501 दिनांक 12.08.2025 से अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाई जा चुकी है, परन्तु अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ संलग्न सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6(1) के प्रार्थना पत्र व लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन से विदित होता है कि अपीलाण्ट को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6(1) के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। जबकि अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निशुल्कःउपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मालपुरा को निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

742